झारखण्ड सरकार
योजना सह वित्त विभाग
(वित्त प्रभाग)

संकल्प

विषय :- दिनांक 01.01.2006 के पूर्व अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण के संबंध में ।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पेटिशन (सिविल) संख्या 1022/89 अखिल भारतीय न्यायिक सेवा संघ बनाम भारत संघ एवं अन्य में दिनांक 28.04.2009 को पारित न्यायादेश के आलोक में न्यायामूर्ति ई० पद्मनाभन आयोग की अध्यक्षता में एक सदस्यीय आयोग का गठन करते हुए न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के लिए वेतन पुनरीक्षण एवं भत्तों के संबंध में अनुशंसा देने का निदेश दिया गया । उक्त के आलोक में न्यायमूर्ति ई० पद्मनाभन (सेवानिवृत्त) द्वारा दिनांक 17.07.2009 को माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपनी अनुशंसा समर्पित किया गया । माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 07.04.2010 एवं 04.05.2010 को पारित न्यायनिर्णय में न्यायमूर्ति ई० पदमनाभन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने का निदेश दिया गया है ।

2. पुनः माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 26.07.2010 एवं दिनांक 02.08.2010 को पारित न्यायादेश के आलोक में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 3168 दिनांक 06.12.2010 द्वारा अवकाश प्राप्त सभी न्यायिक पदाधिकारियों के लिए घरेलू सहायता भत्ता, चिकित्सा भत्ता, अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था एवं उपदान संबंधी आदेश एवं संकल्प सं० 1485 दिनांक 13.07.2011 द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण संबंधी आदेश निर्गत किया गया है ।

3. अतः सम्यक विचारोपरान्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 14.07.2016 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नवत् निर्णय लिया गया है :-

(क) दिनांक 15.11.2000 के बाद एवं दिनांक 01.01.2006 के पूर्व राज्य न्यायिक सेवा के सेवानिवृत पदाधिकारियों को निर्धारित पेंशन (with

commutation)/पारिवारिक पेंशन का दिनांक 01.01.2006 से 3.07 गुणक या सेवानिवृति के समय धारित पद का पुनरीक्षित वेतनमान में न्यूनतम वेतन का 50% (पेंशन हेतु)/30% (पारिवारिक पेंशन हेतु) में से, जो अधिक हो पेंशन/पारिवारिक पेंशन के रूप में अनुमान्य होंगे ।

(ख) सभी अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के पेंशन/पारिवारिक पेंशनभोगियों के लिए अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था निम्न प्रकार लागू होंगे :-

क्र०सं०	पारिवारिक पेंशनधारी/पेंशनधारी की उम्र	अतिरिक्त पेंशन की राशि
1.	70-75 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 10%
2.	75-80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20%
3.	80-85 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30%
4.	85-90 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40%
5.	90-100 वर्ष से कम उम्र के पेंशनधारी	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50%
6.	100 वर्ष एवं उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100%

4. वित्त विभाग के संकल्प सं० 3168 दिनांक 06.12.2010 एवं संकल्प सं० 1485 दिनांक 13.07.2011 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगे ।

5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् द्वारा दिनांक 25.10.2019 की बैठक के मद संख्या 23 में इसकी स्वीकृति दी गई है ।

आदेश :- **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।**

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

(के०के० खंडेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

ज्ञापांक :-9/पें० (6)-16/2019 285/वि.प. राँची, दिनांक 26/12/19

प्रतिलिपिः- माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय/ सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/मुख्य सचिव के सचिव/सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी उप-कोषागार पदाधिकारी/पी०एम०यू० कोषांग के सहायक प्रोग्रामर को विभागीय Website पर upload करने हेतु योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Kailash 26/12/19

(के०के० खंडेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

संदीप

ज्ञापांक :-9/पें० (6)-16/2019 285/वि.प. राँची, दिनांक 26/12/19

प्रतिलिपिः- महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

Kailash 26/12/19

(के०के० खंडेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

संदीप

ज्ञापांक :-9/पें० (6)-16/2019 285/वि.प. राँची, दिनांक 26/12/19

प्रतिलिपिः- सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को e- गजट के रूप में राजपत्र असाधारण अंक में प्रकाशन करने हेतु प्रेषित ।

Kailash 26/12/19

(के०के० खंडेलवाल)
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

संदीप